

पृष्ठपीठ

वसूलियों का विवरण

वसूली का स्वरूप \_\_\_\_\_

राशि रुपये \_\_\_\_\_

किशतों में दसूलनीय ।

अवकाश वेतन से की गई कटौतियां

से	तक	सम्बन्धी	रु०
से	तक	सम्बन्धी	रु०
से	तक	सम्बन्धी	रु०
से	तक	सम्बन्धी	रु०

मास का नाम	वेतन	उपदान आदि	निधियां एवं अन्य कटौतियां	आयकर की वसूली गई राशि	टिप्पणी
अप्रैल 20.....					
मई 20.....					
जून 20.....					
जुलाई 20.....					
अगस्त 20.....					
सितम्बर 20.....					
अक्टूबर 20.....					
नवम्बर 20.....					
दिसम्बर 20.....					
जनवरी 20.....					
फरवरी 20.....					
मार्च 20.....					



## अन्तिम वेतन पत्र

[लेखा परीक्षा नियमावली की धारा IV के अध्याय 2 के परिशिष्ट 'क' का पैरा (5 देखिए)]

1. \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_  
का अन्तिम वेतन पत्र जो \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_  
तक \_\_\_\_\_ पर गए हैं।

2. उन्हें निम्नलिखित दरों पर \_\_\_\_\_  
तक का भुगतान कर दिया गया है।

	मद	दर
मूल वेतन	_____	_____
स्थानापन्न वेतन	_____	_____
अदला-बदली भरपायी भत्ता	_____	_____

3. उनका सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या \_\_\_\_\_  
महालेखाकार \_\_\_\_\_ द्वारा रखा गया है।

4. उन्होंने \_\_\_\_\_ का कार्यभार  
को \_\_\_\_\_ में छोड़ा गया है।

5. सरकारी कर्मचारी से दूसरी ओर दिए गए विवरणानुसार वसूलियां  
की जानी हैं।

6. उन्हें निम्न विवरण के अनुसार अवकाश वेतन की अदायगी की गई  
है और दूसरी ओर की गई प्रविष्टियों के अनुसार वसूलियां की गई हैं।

अवधि	दर	राशि
से _____ तक रु0 _____	_____	प्रतिमास _____
से _____ तक रु0 _____	_____	प्रतिमास _____
से _____ तक रु0 _____	_____	प्रतिमास _____
से _____ तक रु0 _____	_____	प्रतिमास _____

7. वह निम्नलिखित प्राप्त करने के लिए पात्र है :—

8. वह \_\_\_\_\_ दिनों की पदग्रहण अवधि लेने हेतु भी पात्र है।

9. वह भविष्य निधि में से बीमा पालिसी की अदायगी भी करते हैं,

जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :—

बीमा कम्पनी का नाम	पालिसी नं०	प्रीमियम/किश्त की राशि	प्रीमियम/किश्त की देय तिथि
_____	_____	_____	_____

10. इस वर्ष के आरम्भ से उनसे आज तक वसूले गए आय कर का  
विवरण दूसरी ओर दिया गया है।

तिथि \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
पदनाम \_\_\_\_\_

टिप्पणी.—क्रम संख्या 3 के सम्बन्ध में सूचना अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा और राजपत्रित अधिकारी की स्थिति में खजाना अधिकारी/अधिकारी द्वारा स्वयं दी जाएगी, इसके अतिरिक्त, यदि सरकारी कर्मचारी एक लेखापरीक्षा वृत्त से दूसरे में स्थानान्तरित होता है, यदि सम्भव हो, तो राजपत्रित अधिकारी हेतु महालेखाकार द्वारा अन्तिम वेतन पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करते समय तथा अराजपत्रित कर्मचारी हेतु कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उस लेखा अधिकारी का नाम भी लिखा जाएगा जो उसके सामान्य भविष्य निधि लेखे को रखेगा।